प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इक्कीस '

[10/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 5468]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 5468
माननीय विधायक श्रीमती ... देवी
सदन पटल पर देने का दिनांक 10-3-17

17 | 2013 | HR

1/3

परमानेन्ट

कार्यालय प्रबन्ध संचालक

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

प्रकाश एवं विकास

वेबसाइट : www.mpcz.co.in

मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

क्रमांक / प्रसं. / म.क्षे. / मा.सं. / स्था. / 7368 भोपाल, दिनाँक 25/8/13

परिपत्र

विषय :--उच्च पदों पर चालू प्रभार देने के संबंध में।

01 कंपनी के प्रबंध संचालक को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्तर के अधिकारी को उपयुक्तता सह वरिष्ठता के आधार पर किसी भी अवधि के लिए उच्च पद का चालू प्रभार प्रदान करने हेतु कंपनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.2009 से अधिकृत किया गया है, जिसमें किसी भी सीमा (न्यूनतम / अधिकतम) का निर्धारण नहीं है।

02 कंपनी के सुचारू संचालन तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और सतत् निगरानी तथा मुख्यालय स्तर के नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने हेतु मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक उपमहाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना की आवश्यकता को देखते हुए कंपनी के विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों को उच्च पद का चालू प्रभार प्रदान किये जाने संबंधी उपरोक्त निर्णय की समीक्षा उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपनी के कार्यपालिक पदों पर कार्यरत् निम्न तालिका में अंकित अधिकारियों को उनके समक्ष दर्शायी गयी सीमा तक उच्च पद का चालू प्रभार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र	पद	संगठनात्मक संरचना में स्वीकृत पदों की संख्या	चालू प्रभार की अधिकतम सीमा (स्वीकृत पदों का प्रतिशत)
1	अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मुख्य अभियंता	5	50 %
2	अधीक्षण अभियंता से अतिरिक्त मुख्य अभियंता	5	50 %
3	कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता	31	50 %
4	सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता	160	30 %
5	कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता	462	15 %

उपरोक्तानुसार निर्धारित चालू प्रभार की अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका में अंकित कार्यपालिक पदों पर कार्यरत् अधिकारियों के लिए ही लागू रहेगी। अन्य कार्यपालिक / गैर कार्यपालिक पदों पर कार्यरत् अधिकारी / कर्मचारियों के लिए उच्च पद का चालू प्रभार प्रदान किये जाने के संबंध में दिनांक 30.09.2009 का निर्णय प्रभावशील रहेगा।

03. उपरोक्त तालिका के सरल क्रमांक 1 से 4 तक अंकित पद पदोन्नति से भरे जाने के कारण चालू प्रभार के लिए रिक्त पदों का होना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु सरल क्रमांक 5 पर अंकित सहायक अभियंता का पद सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने के कारण इन पदों पर चालू प्रभार रिक्त पदों के विरूद्ध ही दिया जा सकेगा परन्तु यह संवर्ग में कुल स्वीकृत संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

04. चालू प्रभार दिये जाने की व्यवस्था अस्थाई होगी, जिसका प्रबंध संचालक समय-समय पर आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण कर सकेंगे।

05. यह व्यवस्था कंपनी की प्रशासनिक सुविधा के लिए होगी तथा चालू प्रभार किसी अधिकारी द्वारा अधिकार पूर्वक नहीं माँगा जा सकेगा।

06. चालू प्रभार दिये जाने पर कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

07. आवश्यकता अनुसार उच्च पद का वेतनमान प्राप्त अधिकारियों को ही उच्च पद का चालू प्रभार उपयुक्तता सह वरिष्ठता के आधार पर बिना किसी लाभ–हानि एवं समय–सीमा के प्रदान किया जाएगा।

08. उच्च पद का चालू प्रभार प्राप्त अधिकारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में चालू प्रभार वापस लिया जाकर उसे मूल पद पर किसी भी स्थान पर पदस्थापित किया जा सकेगा, जिसका अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

आदेशानुसार

(आर.के. लढ़िया)
महाप्रबंधक (स्थापना)

क्रमांक / प्रसं / म.क्षे. / मा.संसा. / स्था / 7369

भोपाल दिनांक : 24/8/13

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.) म.प्र. पावर मैनेजमेंट / पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. / प्रशा.) म.प्र.पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र वि.वि.क.लिमि.,जबलपुर / इंदौर।
3. कार्यपालक निदेशक (मा.सं. / प्रशा.) म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. जबलपुर।
4. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे.) / (ग्वा.क्षे.), म.प्र.म.क्षे.वि.वित.क.लिमि. भोपाल / ग्वालियर।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. / प्रशा.) / (वाणिज्य) / (क्रय) / (कार्य एवं योजना) / (शहरी परियोजना / आई.टी.) / (ए.डी.बी / ग्रामीण परियोजना) / (मेन्टेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेनेजमेंट), म.प्र.म.क्षे.वि वि.कंपनी लिमि. भोपाल।
6. निदेशक (पी.डी.टी.सी.एस.), भोपाल।
7. निदेशक (वित्त), कार्या.प्रबंध संचालक म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
8. महाप्रबंधक (स्थापना) / (आर.एण्ड टी.)कार्या.प्रबंध संचालक,म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लि. भोपाल।
9. महाप्रबंधक,(शहर) / (संचा. / संधा) / (सिविल) / (सतर्कता) / (भंडार), वृत्त म.प्र.म.क्षे.वि.वित.कं. लिमि., ...।
10. उप महाप्रबंधक (मा.सं.) कार्यालय प्रबंधक संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
11. समस्त वरिष्ठ / लेखाधिकारी, लेखा इकाई (मुख्यालय लेखा इकाई) / (संचा. / संधा.) / (शहर), वृत्त म.प्र.म.क्षे.वि.वित.क. लिमि. ....।
12. प्रबंधक(मा.सं.)–........, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. ....।
13. प्रकाशन अधिकारी / कंपनी सचिव / वेबमास्टर, कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमि. भोपाल।
14. निज सचिव / गोपनीय अधिकारी,कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमि. भोपाल।
15. अनुभाग अधिकारी (मा.सं.) / (गोपनीय शाखा),कार्या.प्रबंध संचालक (मध्य क्षेत्र)भोपाल।
16. आदेश नस्ती / अतिरिक्त प्रति / व्यक्तिगत नस्ती / डाटा सेल।

उप महाप्रबंधक (स्थापना)

परिशिष्ट

3/3

M.P. Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd.

Page ....

Subject :-

Decisions taken in the 36th Meeting of Board of Directors held on 30.09.2009 at Bhopal

Item No.15 :- To entrust current charge to officers.

The Board passed the following resolution:

"**RESOLVED THAT** the Chairman & Managing Director is hereby authorised to entrust current charge for any rank and for any period as and when required.

RESOLVED FURTHER that the current charge be assigned on the basis of Merit-cum-Seniority."

Ratan
04/11/19

Company Secretary

1. Chief General Manager (HR)
2. General Manager (HR)

Resolution file
C.O.

28-2-17

(श्याम लाल)
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल